न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 682/2024

अनवान : –

1. अमन गोदारा पुत्र प्रमोद गोदारा जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. गिरधारीलाल पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर ।
2. प्रमोद गोदारा पुत्र गिरधारी लाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर ।
3. विनोद कुमार पुत्र गिरधारी लाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर ।
4. पुष्पा पुत्री गिरधारी लाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री गिरधारी लाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. प्रीतम सिंह पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. सरिता पुत्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. अमित गोदारा पुत्र प्रमोद गोदारा जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 07/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 31/28 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 4.8580 है0 भूमि व रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 22/22 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 177/171 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 66/66 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6440 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का दादा है तथा व्योवृद्ध व्यक्ति है तथा उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी का चाचा है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अलग से भूमि दर्ज है इसलिए उपरोक्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 ता 5 जो कि वादी की बुआ है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भतीजो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 7 भी उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व 7 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 31/28 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 4.8580 है0 भूमि में से प0 नं0 358/442 (27) के किला नं. 8/1 की 0.0130 है0, 9/1 की 0.0120 है0 भूमि एवं प0 नं0 359/442 (28) के किला नं. 9 के मिन पूर्व की 0.1265 है0, 10 ता 13 प्रत्येक की 0.2530 भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 8 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है तथा रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 22/22 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 8 ब0 हि0 ब0 काबिज है। रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 177/171 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 यथावत काबिज है एवं रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 66/66 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6440 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य ज[illegible] सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

...अधिकारी
नोह...

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का दादा है तथा व्योवृद्ध व्यक्ति है तथा उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हक हिस्सा है वह अपने पौत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी का चाचा है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अलग से भूमि दर्ज है इसलिए उपरोक्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 ता 5 जो कि वादी की बुआ है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भतीजो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 7 भी उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व 7 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार भूमि रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 31/28 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 4.8580 है0 भूमि व रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 22/22 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 177/171 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 66/66 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6440 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का दादा है तथा व्योवृद्ध व्यक्ति है तथा उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हक हिस्सा है वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपने पौत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी का चाचा है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अलग से भूमि दर्ज है इसलिए उपरोक्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 ता 5 जो कि वादी की बुआ है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भतीजो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 7 भी उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व 7 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 31/28 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 4.8580 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 358/442 (27) के किला नं. 8/1 की 0.0130 है0, 9/1 की 0.0120 है0 भूमि एवं प0 नं0 359/442 (28) के किला नं. 9 के मिन पूर्व की 0.1265 है0, 10 ता 13 प्रत्येक की 0.2530 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 22/22 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 8 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 682/2024
अनवान : –

1. अमन गोदारा पुत्र प्रमोद गोदारा जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. गिरधारीलाल पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर ।
2. प्रमोद गोदारा पुत्र गिरधारी लाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर ।
3. विनोद कुमार पुत्र गिरधारी लाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर ।
4. पुष्पा पुत्री गिरधारी लाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री गिरधारी लाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. प्रीतम सिंह पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. सरिता पुत्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. अमित गोदारा पुत्र प्रमोद गोदारा जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 682 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 31/28 के कुल खसरे 25 की कुल तादादी 4.8580 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 358/442 (27) के किला नं. 8/1 की 0.0130 है0, 9/1 की 0.0120 है0 भूमि एवं प0 नं0 359/442 (28) के किला नं. 9 के मिन पूर्व की 0.1265 है0, 10 ता 13 प्रत्येक की 0.2530 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है तथा शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 22/22 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 8 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर